(55)

संख्याः- 70 /VI(1)/2013-03(19)/2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 4 जनवरी, 2013

विषयः-जिला पर्यटक कार्यालय पौड़ी के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई तथा जिला पर्यटन कार्यालय ऊधमसिंहनगर के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-287/2-6-652/2012-13, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 के संदर्भ में सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश-88/XXVII(3)कार्य/2005, दिनांक 24 फरवरी, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित योजनाओं हेतु ₹ 9.03 लाख के प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष विभागीय भवनों की मरम्मत मद में उपलब्ध अवशेष धनराशि ₹ 6.50 लाख (₹ छः लाख पचास हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- (धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आगणन की लागत	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	जनपद पौड़ी में पर्यटन विभाग के आवासीय भवनों की मरम्मत	4.62	3.25
2	जिला पर्यटन कार्यालय रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	4.41	3.25
	योग :-	**9.03**	**6.50**

2- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2013 तक अवश्य कर लिया जाय।

6- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

7- एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

...2

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

9– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

10– कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

12– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी– S1212260134 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 70/VI(1)/2012–02(10)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी व ऊधमसिंहनगर।
5– अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी व ऊधमसिंहनगर।
8– वित्त अनुभाग–2,
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव